190 187

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०

सोन भवन 5वी मंजिल, वीर चन्द पटेल पथ पटना 800001

कार्यालय आदेश

बिहार राज्य उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय को बिहार राज्य खाद्य निगम में कार्यरत 119 च०व० कार्मिकों की सेवा निगम मुख्यालय के पत्रांक 2079 दिनांक 31.03.1997 एवं 128 तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की सेवा निगम मुख्यालय के पत्रांक 2186 दिनांक 04.4.1997 से समायोजित हेतु सौंपी गई थी।

वैसे कार्मिक जिनका समायोजन उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार में हुई है, उनका सेवा निवृति के पश्चात निगम में बिताई गई कार्य अवधि का देय उपादान की राशि राज्य खाद्य निगम द्वारा देय होगा अथवा बिहार उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, पटना के स्तर से देय होगा यह मामला सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 237 दिनांक 13.01.2012 एवं पत्रांक 4749 दिनांक 27.07.2014 से प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार राज्य खाद्य निगम के वैसे कर्मी जिनका समायोजन खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय में हुआ है, उनके निगम में बिताई गई अवधि का उपादान की राशि का भुगतान निगम द्वारा किया जाना है।

उक्त आदेश के आलोक में निगम निदेशक पर्षद की 139वीं (मद स०-16) बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिया जाता है कि-

1. बिहार राज्य खाद्य निगम के वैसे कार्मिक जिनकी सेवा का समायोजन बिहार सरकार के उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार में किया गया है, उन्हे सेवा- निवृति के उपरांत निगम मे बिताई गई अवधि के उपादान राशि का भुगतान बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा की जाएगी।
2. निगम अवधि में की गई सेवा की गणना उनके द्वारा प्राप्त अन्तिम वेतन के आधार पर की जाएगी (निगम में बिताई गई अन्तिम माह का वेतन के आधार पर)
3. निगम के कर्मचारियों को सेवा निवृति के उपरांत रू० 3.50 लाख का भुगतान उपादान मद में किया जाता है। इसलिए निगम अवधि में बिताई गई सेवा की गणना करते हुए जो भी अवधि निगम सेवा में होगी उसी अवधि का उपादान रू० 3.50 लाख की दर से की जा सकेगी। क्योकि निगम कर्मचारियों को उपादान मद में रू० 3.50 लाख का भुगतान का प्रावधान है (पूरे सेवा काल के बाद)।

ह०/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक-

दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- 256

दिनांक- 07.01.15

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार/सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/ प्रभारी जन-संपर्क पदाधिकारी/गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रबंध निदेशक।

337 (165)

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
सोन भवन, 6वीं मंजिल, बीरचन्द पटेल पथ, पटना 800001.

दिनांक– 13/3/09

[illegible]–2206

डा0 राणा अवधेश, भा0प्र0से0
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

गहानिदेशक,
प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान,
वाल्मी कैम्पस, फुलवारीशरीफ।

विषयः– **श्री अमिताभ प्रसाद, वरीय अंकेक्षक, प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, फुलवारीशरीफ का सेवा शर्त्त के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निगम के कार्यालय आदेश सं0 2813 दिनांक 04.4.06 के क्रम में एवं उप निदेशक(प्रशि0), के पत्र सं0 68 दिनांक 17.2.09 के आलोक में श्री अमिताभ प्रसाद, वरीय अंकेक्षक का प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी कैम्पस, फुलवारीशरीफ, पटना का प्रतिनियुक्ति की वाहय सेवा शर्त्त निम्न हैः–

1. श्री अमिताभ प्रसाद, वरीय अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति तीन वर्ष के लिए होगी।
2. निगम द्वारा उक्त पद पर निर्धारित किए गए वेतन भत्ता का भुगतान वाहय विभाग द्वारा किया जायगा।
3. श्री प्रसाद को प्रतिनियुक्ति अवधि का सभी प्रकार का सेवा–लाभ राशि का भुगतान प्रतिनियुक्त कार्यालय द्वारा किया जायगा। निगम द्वारा प्रतिनियुक्त अवधि का किसी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
4. निगम द्वारा निर्धारित नियम के अनुसार भविष्य निधि एवं ग्रुप बीमा कटौती की जायगी।
5. आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति समाप्त करने का अधिकार निगम को होगा।
6. सेवा पुस्तिका का अद्यतन, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति एवं भुगतान का दायित्व वाहय विभाग का होगा।

विश्वासभाजन।
12.03.09
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–2206 दिनांक–13/3/09

प्रतिलिपि सचिव, वित्त विभाग, बिहार,पटना/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.09
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक–2206 दिनांक–13/3/09

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/ कम्पनी सचिव/ संचिका शाखा/कम्प्यूटर प्रभारी/ डेस्क पदाधिकारी(बिहार)/ सेवा निवृति लाभ कोषांग एवं श्री अमिताभ प्रसाद, वरीय अंकेक्षक, प्रतिनियुक्ति पर प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.09
प्रबंध निदेशक।

06/03/09

(336) (167)

बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लि0,
सोन भवन, बीरचन्द पटेल पथ, पटना–800001.

कार्यालय आदेश।

इस निगम के बहुत से कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर कोषागार, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण तथा ए0टी0आई0 विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है। कोषागार में प्रतिनियुक्त कार्मिकों की सेवा वित्त विभाग द्वारा समायोजन के आधार पर नियुक्त कर लिया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विभाग से प्रतिनियुक्त कार्मिकों द्वारा 12(बारह) वर्षों की प्रतिनियुक्ति अवधि के पश्चात् योगदान किया जा रहा है। निगम के एक कार्मिक ए0टी0आई0 में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

इस प्रकार निगम कार्मिक विगत 12(बारह) वर्षों से अधिक दिनों से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं।

अतः निर्णय लिया जाता है कि इस निगम से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्त कार्मिकों के प्रतिनियुक्ति अवधि का उपादान एवं अव्यवहृत अवकाश के बदले समतुल्य राशि का भुगतान प्रतिनियुक्त विभाग से ही किया जायगा।

02.03.09
प्रबंध निदेशक।

02/03

ज्ञापांक–ए0 144/08– 1998 दिनांक– 03/03/09

प्रतिलिपि सरकार के सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/ सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/महानिदेशक–सह–प्रशासनिक सुधार आयुक्त, प्रशासनिक, प्रशिक्षण संस्थान, वाल्मी कैम्पस, फुलवारीशरीफ/ सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/ सभी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण / सभी कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित प्रतिनियुक्त कार्मिकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.09
प्रबंध निदेशक।

02/03

ज्ञापांक–ए0 144/08– 1998 दिनांक– 03/03/09

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप. प्रमुख/ कम्पनी सचिव/गोपनीय शाखा/ कम्प्यूटर प्रभारी/ डेस्क पदाधिकारी(बिहार एवं झारखण्ड)/सेवा निवृति लाभ कोषांग एवं सभी प्रभारी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार एवं झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.03.09
प्रबंध निदेशक।

02/03/09